फार्म -अ (परिपत्र दो-1 की कण्डिका 6 देखिये) राजस्व आदेश-पत्र (रेव्हेन्यू आर्डर शीट)

— नट्यीलट	ार वृत्त तिरला तहसील धार धार के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक : 1209/अ-6/2020-21	
क्या नित	त्य के आधार पर नामांतरण हेत	
- नगतना	बन्दोबस्त कर्मांकः पटवारी इल्काः न ३ प्रचाः खरसाडा तहसाल: धार	
न्ह्रोत्स्य का कम	ाँकः सन् अनविभागीय अधिकारी का क्रमांक : सन् सन्	
तहसीलदार का व	pमाँक: सन् नायब तहसीलदार का क्रमाँक: सन् सन्	
	० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०	जहाँ आवश्यक हो,
आदेश क्रमाँक	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश-पत्र अथवा कार्यवाही	पक्षकारों अथवा
कार्यवाही की		वकीलों के
तारीख और	;	हस्ताक्षर,आदेशों
स्थान	·	के पालन करने वाले लिपिक के
	·	संक्षिप्त हस्ताक्षर
		और पालन
		कीतारीख
	क्यान हो है की आतेटक श्री/श्रीमति/क.:	
26/03/2021	'मुख्याल्य उप पंजीयक कार्यालय धार' द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है की आवेदक श्री/श्रीमति/कु.:	
	मध्य प्रदेश शासन, राज्यपाल का आर स कापपारा नरह	
	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसभाग बदनावर तहसील पुरी। जल संसाधन उपसंभाग बदनावर तहसील पुत्री/पत्नी: " निवासी/कृषक: 'अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग बदनावर तहसील पुत्री/पत्नी: " निवासी/कृषक: 'अनुविभागीय अधिकारी कुमांक 'MP119002021A1290872'	
	पुत्री/पत्नी: " निवासी/कृषक: 'अनुविभागीय अधिकारी, जल संसोधन उपसमान वर्ष गयर गर्य पुत्री/पत्नी: " निवासी/कृषक: 'अनुविभागीय अधिकारी, जल संसोधन उपसमान वर्ष गयर गर्य बदनावर जिला-धार'ने रजिस्ट्री के आधार पर जिसका रजिस्ट्री क्रमांक 'MP119002021A1290872' बदनावर जिला-धार'ने रजिस्ट्री के आधार पर जिसका रजिस्ट्री क्रमांक 'MP119002021A1290872'	
	बदनावर जिला-धार'ने रजिस्ट्री के आधार पर जिसका राजस्ट्रा क्रमाय MI 1170020 है। क्रय/विक्र्य के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.जिसका विवरण	
	हि। क्रियापक्रिय पर आयार गर के कि निम्नानुसार है :-	
	1. भूमि का विवरण 	
	सक् पटवारी हल्का ग्राम / संवक्षण संख्याप र जार हेक्टर / वर्ग भूमि का	
1	क्रमाक/ सक्टर निगराय क्षेत्र पिटा में क्षित्रफल	
	() Sold 0.300	
	1 नं.2 पंचा. अकोदा खरसोड़ा सर्वेनम्बर४०१/२/१ ७.५००	
	2. क्रेता/दान प्राप्तकर्ता का विवरण	
	2. क्रता/दान प्राप्तकता का विवर	
	3. विक्रेता/दान दाता का विवरण	
		,
	गुकरण दर्ज करें।	
	-प्रकरण दर्ज करें। -प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण सम्पदा के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा नियत -प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण सम्पदा के माध्यम से प्रास्त नहीं किये जाने से उनका	
	-प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण सम्पदा के माध्यम से प्रारी छुआ। जाने से उनका समयावधि में मूल दस्तावेज एवं आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनका समयावधि में मूल दस्तावेज एवं आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनका	
	समयाविध में मूल दस्तावेज एवं आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जान राज निर्माण आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है। बाद प्रकरण दायरे से कम होकर दाखिल रेकार्ड करें।	
	1 /	
	नायब तहसीलदार वृत्त तिरला तहसील धार जिला Dhar (धार) (म.प्र	.)
	2	

अतिरिक्त तहसीलंदार तहसील धार (म.प्र.)